

4

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2002

(Under section 151 of Civil Procedure Code)


IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 50730 OF 2002

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT VARANASI

- 1 Indian Electro Homeopathic Medicine Board Nagpur,
Maharashtra, Ansar Nagar, Mominpura, Nagpur -18
(Maharashtra).
- 2 Indian Electro Homeopathic Medical College and Hospital,
Bhagwanpur, B.H.U. Varanasi through Registrar Dr. Rama
Shanker Prasad.
- 3 Indian Electro Homeopathic Medical Council, Lucknow,
Uttar Pradesh, 5, Manas Vihar (Enclave) Indira Nagar,
Lucknow through its Registrar Dr. Mumtaz Ahmad.
- 4 Indian Electro Homeopathic Doctors' Association, Lucknow,
Uttar Pradesh, 5, Manas Vihar (Enclave) Indira Nagar,
Lucknow through its President/Chairman Dr. Rama
Shanker Prasad
- 5 Natural Science Education Society, Bahariabad, Ghazipur
(U.P.) through its president/Chairman Dr. Mumtaz Ahmad.



Petitioners

Versus

1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi.
2. The Principal Secretary, Medical and Health, Government of UP, Vikas Bhavan, Lucknow.
3. Director General, Medical and Health U.P. LKO.
4. Ministry of Home Affairs, Government of U.P. Civil Secretariat, Lucknow through Principal Secretary.
5. State Council of Homeopathy, Government of UP, Lucknow through its Secretary.
6. Director General of Police, Uttar Pradesh State LKO.
7. Ministry of Human Resources and Development, Government of India, New Delhi, through its Secretary.
8. Medical Council of India, New Delhi through its Secretary.
9. Dental Council of India, New Delhi, through its Secretary.
10. University Grants Commission, New Delhi, through its Chairman.
11. Central Council of Indian Medicine (CCIM), New Delhi, through its Secretary.
12. Central Council for Research in Ayurveda and Siddha including unit of Tibetan Medicine (CCRAS), New Delhi through its Secretary 61-65 Institutional Area, Janakpuri, New Delhi.
13. Department of Indian Medicine, Siddha and Homeopathy (IMS&H), Red Cross Building, Red Cross Road, New Delhi through its Joint Secretary.
14. Central council of Yoga and Naturopathy, New Delhi through its

15. Ministry of Health and Family Welfare, Government of Maharashtra through its Secretary.

TRUE COPY

Suit
5/12/2002

Respondents

To,

Copying of
High Court, Mumbai

The Hon'ble the Chief Justice and his other companion
Judges of the aforesaid Court.

The humble application on behalf of the petitioners named above most respectfully showeth:

1. That the petitioner is filing the accompanying writ petition. Full facts and circumstances have been narrated in the accompanying writ petition. The same may be treated as part of this application.

2. That for the facts and reasons narrated in the accompanying writ petition it is necessary in the interest of justice that this Hon'ble court may graciously be pleased to restrain the respondents from interfering with the functioning of the petitioners in any manner, whatsoever, so that justice may be done.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble court may graciously be pleased to restrain the respondents from interfering

Handwritten notes in the left margin, including a date '5.12.02' and other illegible text.

Handwritten signature and date '5/12/02' in the left margin.

22439

(Stay Form)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL SIDE

APPELLATE/ORIGINAL JURISDICTION

Dated Allahabad, the 2.12.2002.

PRESENT: The Hon'ble Mr. Justice Sudhir Narain, J.
and Hon'ble Mr. Justice D. R. Chaudhary, J.

CIVIL MISC. WRIT PETITION No. 50730/2002. of 200
PETITION

Order on the application of _____

In re:

Indian Electro Homeopathic Medical College and Hospital, Petitioner
Bhagwanpur, B.H.U. Varanasi through Registrar Dr. Shanker Prasad & others. Appellant

versus



Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Respondent.
Government of India New Delhi & others.


ORDER:

(DISTRICT : VARANASI)

BY THE COURT

Learned counsel for the petitioners is permitted to delete the name of petitioner No.1 from the array of parties. Notice on behalf of respondents 1 and 7 to 14 has been accepted by Sri S.K. Mishra. Notice on behalf of respondents 2 to 6 has been accepted by learned Standing counsel. They are granted one month's time to file counter affidavit. The petitioners are alleged to be imparting education in Electro-Homoeopathy system of Medicines. They are seeking mandamus commanding the respondents not to interfere in the working of the petitioners for promotion, development and research in Electro-Homoeopathy system of Medicine. They can do so at their own risk. It is, however, made clear that this interim order will not confer any rights on the students to carry on medical practice unless any order is passed to this effect by the Government. Sd/- Sudhir Narain.
Dt/- 2.12.2002. Sd/- D.R. Chaudhary.


V. PRATAP
EX. BY. 
05/12/02

TRUE COPY

5/12/2002
Section Officer
Copying (E) Department
High Court, Allahabad

88

(Stay Form)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL SIDE

APPELLATE/ORIGINAL JURISDICTION

6537
S.P. Singh

Dated Allahabad, the 06.04.2004

PRESENT : The Hon'ble Mr Justice Dr. B. S. Chauhan
and Hon'ble Mr. Justice D.P. Gupta.

Writ No. 13830 of 2004 of 200

Order on the application of (Order on the petition)

In re: Distt. Varanasi

1. The Indian Electro Homeopathic Medicine Board Petitioner,
Nagpur Maharashtra Ansar Nagar Mominpura Nagpur Appellant
and seven others. versus

Respondent,

ORDER: 1. Union of India through Secretary Ministry of
Health and Family welfare Govt. of India New Delhi and
12 others.... Respondents.

Tag and list this petition alongwith writ petitions no. 42750^v
2002, 50730/2002, 25657/2002, 4994/2004.

Sri Ajay Kumar Srivastava, Additional Standing counsel
representing respondents nos. 1, 10 and 11 and other respondents
are being represented by the Chief Standing counsel. They may reply
within three weeks.

List on 30.4.2004. Sd/-Dr. B. S. Chauhan

Sd/-D.P. Gupta.

6.4.2004

TRUE COPY

P/-
[Signature]

[Signature]
7-4-04
Session Officer
Judicial Deptt. High Ct.
Allahabad.

[Signature]
7-4-2004

Note: The array of the parties are enclosed herewith a certified
copy to be true. *[Signature]*

महाराष्ट्र शासन

विद्यार्थी संख्या

१००४/सा.आर.७८/०४/आयु.२.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक: २६ ऑगस्ट, २००४

प्रति,

श्री. श्री.

इलेक्ट्रोपॅथी डॉक्टरां कुल, मुंबई

मुंबई

विषय :- इलेक्ट्रोपॅथी व इलेक्ट्रो-होमिओपॅथी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास अनुमती देण्याची मागणी.

राज्यातील इलेक्ट्रोपॅथी व इलेक्ट्रो-होमिओपॅथी हा मान्यताप्राप्त नसलेला अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचे व्यावसायिकदृष्ट्या पुनर्वसन करण्याच्या मागणीबाबत शासनाने उचितप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-

“ या विषयावरील विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने चर्चा करीत आणि इलेक्ट्रोपॅथी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व १२ वी ची परीक्षा जीवशास्त्र विषय टिकवून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिड वर्षांचे औषध वैद्यकशास्त्राचे प्रशिक्षण (Basic Medical Science) देऊन त्यांना प्राथमिक स्वास्थ्यरक्षक म्हणून काम करण्यास अनुमती देण्यात यावी. या योजनेखाली प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २५ ते ३० प्रकारची अंदाजित उपचारासाठी उपयुक्त ठरणारे औषधांचे अधिकार देण्यात यावेत. ”



उप सचिव, महाराष्ट्र शासन


पुलिस अधीक्षक,
गाजीपुर ।

कृपया आपको सम्बोधित एवं प्रतिलिपि इस कार्यालय व अन्य को पृष्ठांकित रजिस्ट्रार आई०ई०एच० मेडिसिन बोर्ड, नागपुर, एम०एस० स्टेट आफिस भगवानपुर, पी०एच०यू० वाराणसी, उ०प्र० के पत्र सं०: 266/आई०ई०एच०एम०पी०/2002-2003 दिनांक: 23-5-03 के साथ संलग्न मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक: 2-12-2002 एवं अन्य संलग्नकों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो झोला छाप डाक्टरों जिनके नाम का उल्लेख रजिस्टर्ड इलेक्ट्रो होमियोपैथिक डाक्टरों की लिस्ट में अंकित किया गया है, के विरुद्ध प्रशासनिक/कानूनी कार्यवाही न करने के संबंध में है ।

2- अतएव उक्त संदर्भित पत्र मूलरूप में अनुसंगनों सहित संलग्न कर इस आशय से आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है कि कृपया सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर लें तथा अपने जनपद में ओषधनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

। कुल-22 अदत।


। के०के० सक्सेना।
पुलिस उप महा निरीक्षक,
वाराणसी परिवेत्त, उ०प्र०।

आगापत्र सं०: तीओपी/नव-12-2003-रसी-3 - 591

दिनांक: वाराणसी: मई 31, 2003

प्रतिलिपि:- रजिस्ट्रार, आई०ई०एच० मेडिसिन बोर्ड, नागपुर, एम०एस० स्टेट आफिस, भगवानपुर पी०एच०यू०, वाराणसी को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23-5-2003 के संदर्भ में कृपया सूचनाार्थ प्रेषित ।

पुलित अधीक्षक,
चन्दीली ।

कृपया आपको सम्बोधित तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय को सूचनांकित
रजिस्ट्रार, आई०ई०एस०मेडिसिन बोर्ड, नागपुर, एम०एस०, स्टेट आफिस, भगवापुर,
बी०एच०यू०, वाराणसी के पत्र सं०: 238/आई०ई०एस०बी०/2003-2004
दिनांक: 2-9-2003 एवं उसके साथ संलग्न रजिस्टर्ड इलेक्ट्रो होमियोपैथिक
प्रेक्टिसनर्स की सूची/सुख्य विधिकताधिकारी, चन्दीली को सम्बोधित पत्र दिनांक-
2-9-2003/ना०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति
व अन्य संलग्नकों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो अनुक्यालीफाइड/अनरजिस्टर्ड
/अनट्रेण्ड एवं इल्लीगल मेडिकल प्रेक्टिसनर्स, जिनका नाम इलेक्ट्रो होमियोपैथिक
डाक्टरों में सम्मिलित है के विरुद्ध प्रशासनिक/वैधानिक कार्यवाही न किये जाने
विषयक है ।

2- अतएव आपको अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र/दुपट्टों का
भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा उतमें दिये गये निर्देशों का अपने जनपद में ऊदाई
के अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

के०के० सक्सेना
पुलित उप महानिरीक्षक,
वाराणसी परिक्षेत्र, उ०यू०।

आशापत्र सं०: सीओवी/नव-रिट: विधि: -03-एसी-3
दिनांक: वाराणसी: तित एप्र 08, 2003

प्रतिलिपि: - श्री/एस०प्रसाद, रजिस्ट्रार, आई०ई०एस०मेडिसिन बोर्ड,
नागपुर, एम०एस० स्टेट आफिस, भगवापुर, बी०एच०यू०, वाराणसी को उनके उक्त
संदर्भित पत्र दिनांक: 2-9-2003 के संदर्भ में कृपया सूचनाई प्रेषित ।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
सार्वजनिक आरोग्य खाते
कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन
क्र.पत्र/ 58/मुक्तमावास दि. 22-8-2010

परिपत्रक

विषय: इलेक्ट्रोपॅथी किंवा होमिओ इलेक्ट्रोपॅथीची पदवी/पदविका धारण करणा-यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याबाबत.

इलेक्ट्रो होमिओपॅथी या पात्राच्या विकसनशील वैद्यकीय निमित्ता पध्दतीबाबत याचिका क्रमांक 129 / 96 या दाव्यामध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यातील अटी व शर्तीवर महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रो होमिओपॅथीच्या पदवी / पदविका धारण करणा-या व्यक्तींना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे.

- 1) ज्या व्यक्ती इलेक्ट्रोपॅथी किंवा होमिओ इलेक्ट्रोपॅथी ची पदवी वा पदविका धारण करील आहेत अशा व्यक्ती नोंदणी न करता फक्त इलेक्ट्रोपॅथी तरोच इलेक्ट्रो थेरपीचा न व्यवसाय करू शकतात.
 - 2) उपरोक्त अनु क्रमांक 1 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इलेक्ट्रोपॅथी तरोच इलेक्ट्रो थेरपीचा व्यवसाय करणा-या व्यक्ती वैद्यकीय व्यवसायीक (Medical Practitioner) अथवा डॉक्टर (Doctor) म्हणून व्यवसाय करू शकत नाही.
 - 3) डॉक्टर अगर वैद्यकीय व्यवसायीक आहे असा मजकूर दर्शविणारी डॉक्टर वा तत्सम उपाधी (पदवी) सदर व्यक्ती त्यांच्या नावापूर्वी किंवा नावा नंतर वापरू शकत नाही.
 - 4) उपरोक्त अटीचा, कायद्यामधील तरतुदीचा त्यांनी भंग केल्यास "महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम 1961" अन्वये त्यांच्या विरुद्ध कारवाई होऊ शकेल या कारवाईमध्ये त्यांच्याविरुद्ध खटला सुध्दा दाखल केला जाऊ शकेल.
- उपरोक्त सुचनांची वैद्यकीय आरोग्य अधिका-यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

136
26.6.07
उच्च कार्यकारी आरोग्य अधिकारी (कम)

उच्च कार्यकारी आरोग्य अधिकारी

दि.:

1) कार्यकारी आरोग्य अधिकारी

2) उप-कार्यकारी आरोग्य अधिकारी (परि.)

3) सहाय्यक आरोग्य अधिकारी (परि.)

4) वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी विभाग - 20/20/10
यांना माहितीकरीता व पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून

105, चन्दर नगर, देहरादून, दूरभाष संख्या - (0135) 2724506, फ़ैक्स - 2726256, ईमेल - cmodehradun@gmail.com

संख्या: सीएमओ/अ0अ0चि0/2014-15 112011

दिनांक 19.08.2014

सेवा में,

1. उप जिलाधिकारी (विकासनगर)
देहरादून।
2. डॉ० एन.एस.नपलच्याल,
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी,
3. श्रीमती अनीता भारती,
औषधि निरीक्षक।


विषय: दिनांक 12.08.2014 व दिनांक 13.08.2014 को किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.08.2014 व दिनांक 13.08.2014 को अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों के सम्बन्ध में अभियान चलाकर क्लीनिक/दुकानों को सील किया। उक्त अभियान में इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के क्लीनिक/दुकानों को भी सील किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक एसोसियन द्वारा उक्त क्लीनिक/दुकानों को खोले जाने का अनुरोध किया जा रहा है।


अतः आप सम्बन्धित क्लीनिकों को पुनः निरीक्षण कर, अगर क्लीनिक अपनी ही विद्या में व शासनादेशानुसार पायी जाती है तो आप सम्बन्धित क्लीनिक/दुकानों को सील मुक्त करने का कष्ट करें।

भवदीय,


मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।
उक्त दिनांक।

संख्या: अ0अ0चि0/2014-15

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून

105, चन्दर नगर, देहरादून, दूरभाष संख्या - (0135) 2724506, फ़ैक्स - 2726256, ईमेल - cmodehradun@gmail.com

संख्या: सीएमओ/अ0अ0चि0/2014-15

दिनांक 2014

-::कार्यालय आदेश::-

इस कार्यालय व जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं थी कि जनपद में कुछ अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने हेतु उप जिलाधिकारियों व अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों के नेतृत्व में दलों का गठन किया गया तथा दल द्वारा अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों के क्लीनिक/दुकानों की जाँच की गयी। इस अभियान में दल द्वारा श्री नारायण सिंह निवासी 20 मसगाँ, देहरादून स्थित क्लीनिक/दुकान को दिनांक... 08.2014 को सील कर दिया गया।

श्री नारायण सिंह से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की जाँच इस कार्यालय द्वारा की गयी। प्रमाण का अवलोकन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि श्री नारायण सिंह की क्लीनिक/दुकान पर लगायी गयी सील को इस शर्त व प्रतिबन्ध के साथ खोलने की संस्तुति की जाती है कि श्री नारायण सिंह अपनी ही विद्या में व शासनादेशानुसार ही चिकित्साभ्यास करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न किये जाने की दशा में किसी निरीक्षण दौरान श्री नारायण सिंह अन्य विद्या/पैथी में चिकित्साभ्यास करते हुये पाये जाते हैं तो इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(बी.एस.जंगपांगी)
मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।

संख्या: अ0अ0चि0/2014-15

उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र

सेवा में,

दिनांक-07.07.2010

एकाइण्ट आफिसर/सूचनाधिकारी
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली
वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च
नरीमन भवन- नई दिल्ली।

महोदय,

प्रार्थी डॉ० कैसर अहमद शेख इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होमियोपैथी ऑफ इण्डिया का लाइसेंस अण्डर सेक्शन 25 ऑफ कॉम्प्लीज एक्ट 1956 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। प्रार्थी उसका सचिव है। इलेक्ट्रो होमियोपैथिक चिकित्सा जगत में यह संस्था 26.06.1996 से अनवरत कार्यरत है। इलेक्ट्रो होमियोपैथिक के प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षण व चिकित्सा जगत में अपूर्ण योगदान किया है।

अतः प्रार्थी रजिस्ट्रार/सक्षम प्राधिकारी (सूचना) आदेश दिनांक 07.05.2010 के बारे में निम्नलिखित, लिखित सूचना प्राप्त करने का आवेदन देता है।

1. क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश मो० सलीम सचिव, केन्द्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सत्य व सही है।
2. क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होमियोपैथी ऑफ इण्डिया पर भी लागू होगा।
3. क्या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2010 के पहले सभी निष्प्रभावी हो जायेंगे।
4. क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश सम्पूर्ण भारत वर्ष में संचालित इलेक्ट्रो होमियोपैथिक संस्थाओं व चिकित्सकों पर लागू होगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को उपरोक्त लिखित सूचना यथाशीघ्र डाक से भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक-

पोस्टल आर्ड नं. 80E 500230

आदेश की छायाप्रति।


पता-

डा० कैसर अहमद शेख

सचिव इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होमियोपैथी ऑफ इण्डिया

न्यू कालोनी कटघरा, पोस्ट सदरा, जिला जौनपुर।

प्रार्थी


(डॉ० कैसर अहमद शेख)

मो०- 9450085480

No. V.25011/426/10-HR
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Department of Health Research)

By Speed Post

Nirman Bhawan, New Delhi;
Dated: 22.09.2010.

24

To,

✓ Sh. Adhikrao B. Pawar,
Lakhamapur
Tat: Satana,
Dist: Nasik - 423213 (Maharashtra)

Subject:- Application dated 17.08.10 of Sh. Adhikrao B. Pawar under the Right to Information Act, 2005.


Sir,

I am directed to refer to your application dated 17.08.10 under the Right to Information Act, 2005 seeking information regarding electropathy and to provide point-wise information as under:-

Point No.1: The Ministry of Health & Family Welfare Order No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 is applicable to all concerned.

2. Under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Ms. Shalini Prasad, Joint Secretary is the First Appellate Authority.

Yours faithfully,



(J. P. Mehta)

Deputy Secretary to the Govt. of India & CPIO
Telefax: 23062666

Copy to the Cdn. II Section with reference to their endorsement no.1327 dated 17.09.2010.

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. वी. 25011/331/2010-एच आर
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक 11 अगस्त, 2010

सेवा में,

✓ डा. कैसर अहमद शेख,
सचिव,
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ इंडिया,
न्यू कॉलोनी, कटघरा,
पोस्ट सदर, जिला : जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

विषय:- इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित सूचना मांगने के संबंध में डा. कैसर अहमद शेख का आर टी आई आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपके दिनांक 07.05.2010 के पत्र का हवाला देने का निर्देश हुआ है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। उक्त पत्र में आपके द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना का विवरण नीचे दिया गया है :-

बिन्दु सं.	बिन्दु	उत्तर
1	क्या मो. सलीम, अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 07.05.2010 का आदेश सही एवं विश्वसनीय है ?	जी हाँ
2	क्या 07.05.10 का आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ इंडिया पर भी लागू होगा ?	आदेश की प्रति संलग्न है।
3	क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश	

date: 17/8/2010

To Secretary Govt. of India
Ministry of Health & Family Welfare
Research Department.
Delhi

Applicant :- Adhikarao B. Pawar

Address :- Lakhmapur Tal: Sutarna
Dist. Nasik - P.Co. 423213

Subject :- Under RTI Act

Information Subject

U Yours Department order date 5 May 2010
is applicable to all Electropath
Educational Institute or Spectre ?
Here in P.P.O. of Rst 209-

Thank You
Pawar

	05.05.10 से पूर्व अनावश्यक हो जाएंगे ?	
4	क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट और समस्त भारत के चिकित्सकों पर लागू होगा ?	जी. डॉ.

2. आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार इस विभाग में संयुक्त सचिव सुश्री शालिनी प्रसाद, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

आपका,

(Handwritten Signature)

(जे.पी.मेहता)

उप सचिव, भारत सरकार

एवं सी पी आई ओ

फॉन : 23062666

संलग्नक (बी) ७-पृष्ठ

अनुभाग अधिकारी (समन्वय-II) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके पृष्ठांकन सं. 822/12.07.2010 के संबंध में प्रतिलिपि प्रेषित।